N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0133 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/06/2025 21:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 22/04/2025 Date To (दिनांक तक): 30/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 17:00 बजे Time To (समय तक): 13:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/06/2025 Time (समय): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/06/2025 21:34:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 265 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): KARYALYA TAHASEELDAR, SHAHPURA,JILA BHILWARA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KALULAL MALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LADU LAL MALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM LASADIYA, SHAHPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM LASADIYA, SHAHPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABLU DHOBEE		पिता:MAHAVEER DHOBEE	1. GRAM KADEESAHANA,BHILWARA,RA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधिकषक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यौरों भीलवाडा। विषय - रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाने बाबत् । महोदय जी, निवेदन है कि "मेरे माता पिता के हम तीन संतान है, मेरे पिता जी लादू लाल पुत्र भुवाना के नाम लसाडिया गांव में कुल 6 बीघा जमीन है, मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक 26.11.2024 को होने के बाद मेरे पिता के हिस्से की जमीन 6 बीघा खाता संख्या 291, 414, 534 को मेरे व मेरे भाई भागचन्द व बहिन प्रेम देवी के नाम विरासत अन्तकाल खोलने के लिये मेरे गांव के पटवारी बबलू धोबी जिसके मो.न [redacted] है, मे मिला और विरासत अन्तकाल हेतु हम तीनों भाई बहिन के आधार कार्ड मेरे माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र एक स्टाम आदि दस्तावेज मैनें पिताजी की मृत्यु के बाद ही पटवारी साहब को दे दिये थे, किन्तु अब तक अन्तकाल नही खोला है, मैनें कई बार उनको मोबाईल व मौखिक रूप से भी कहा है, हर बार बाहना करते रहते है, आज दिनांक 22.04.2025 को दोपहर में मैं तहसील शाहपुरा में मेरे काम से मिला तो पटवारी सा. ने मुझे गेट पर आकर मेरे द्वारा पहले दिये गये दस्तावेज को वापस देकर कहा कि इन कागजो को ई मित्र से ऑनलाईन करवाओं उसके बाद 2000/ रूपये दोगें तो मैं अन्तकाल को लॉक करवा दूंगा, 2000/ नही दोगें तो काम नही होगा मैनें पटवारी साहब ने जो कागज दिये थे उसको ई-मित्र से ऑनलाईन करवा दिया है अब मैं उन्हे कागज देने जाउंगा तो मेरे से 2000/ हजार रूपये मांगेगे। मैं मेरे जायज काम के लिये पटवारी बबलू धोबी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बलकि उसे जायज काम के बदले रिश्वत राशि देते हुए पकडवाना चाहता हूं । पटवारी साहब से मेरी कोई रंजिश नही है, न ही कोई मांग तांग या उधार बकाया है, रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करें"। प्रार्थी एस.डी. कालू लाल माली पुत्र श्री लादू लाल माली उम्र 47 साल नि. लसाडिया पुलिस थाना पण्डेर जिला भीलवाडा मो. 98297-29326 एस.डी. धर्मेश कुमार सोनी, एस.डी. राकेश कुमार मीणा दिनांक 22/04/25, समय 5.00 पी.एम., केम्प- मणिहार कोटेज के बाहर मेन रोड भीलवाड़ा शाहपुरा उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट परिवादी श्री कालूलाल माली पुत्र श्री लादू लाल माली, उम्र 47 वर्ष, पेशा मजदूरी निवासी मु. पोस्ट लसाडिया, तह शाहपुरा, थाना पण्डेर जिला भीलवाड़ा ने मन् पुलिस निरीक्षक के बमुकाम पेश की। हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से दरियापत करने पर बताया कि उक्त लिखित रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी गई है। परिवादी ने बताया कि पटवारी बबलू धोबी द्वारा मेरे पिताजी लादू लाल जी के नाम जमीन खाता नम्बर 291, 414, 534 कुल 6 बीघा का विरासतन इन्तकाल मेरे व मेरे भाई बहन के नाम खोलने के लिए 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। पटवारी द्वारा बिना रिश्वत राशि 2000 रुपये दिये बिना मेरा जायज काम नही करेगा और मुझे बार-बार परेशान कर रहा है। मेरे द्वारा विरासतन इन्तकाल से संबंधित दस्तावेज पटवारी बबलू को दिये थे। उक्त दस्तावेज मुझे आज पटवारी नें तहसील कार्यालय शाहपुरा में देकर कहा कि इनको ई-मित्र से ऑन लाईन करवा कर वापस लेकर आना और साथ में 2000/- रूपये भी लेते आना पटवारी द्वारा इन्तकाल से संबंधित दस्तावेज मैनें ई-मित्र से ऑन लाईन करवा दिये और अभी मेरे पास ही है। पटवारी बबलू धोबी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मेने जयपुर के 1064 नम्बर पर फोन किया तो उन्होंने मुझे श्री पारस जी डिप्टी साहब भीलवाडा के नम्बर दिये। जिस पर मैने डिप्टी साहब से बात की तो उन्होने मुझे भीलवाडा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय आने की कहा। जिस पर मैंने भीलवाड़ा आने में असमर्थता जाहिर करने पर उन्होंने शाहपुरा टीम भिजवाना बताया। परिवादी कालूलाल द्वारा विरासतन नामांतरण के दस्तावेज पेश किये, जिनमे विरासतन नामांतरण हेतु आवेदन पत्र, 50 रूपये के स्टाम्प पर सजरा रिपोर्ट, दिनांक 7/4/25 का मौका पर्चा लसाडिया पटवारी रिपोर्ट, परिवादी के पिता लादूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवादी कालूलाल के आधार कार्ड, हीरादेवी पत्नि लादूलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, कालूलाल का आधार कार्ड, जमाबंदी, भागचन्द्र माली का आधार कार्ड, आदि फोटो प्रति, स्व प्रमाणित दस्तावेज पेश किये। मजमून लिखित रिपोर्ट एवं दरियापत से मामला रिश्वत राशि मांग का पाये जाने से परिवादी कालूलाल को एम.ओ. के पास भेजकर विभागीय प्रक्रिया अनुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाकर नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जायेगी। अतः उपस्थित परिवादी श्री कालुलाल से पटवारी की लोकेशन के बारे में पुछने पर परिवादी ने पटवारी बबलू तहसील शाहपुरा कार्यालय में मिलना बताया। जिस पर परिवादी को तहसील कार्यालय शाहपुरा में जाकर पटवारी बबलू से अपने लम्बित कार्य एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉर्डस रिकॉर्डर में रिकार्ड करने की कहने पर परिवादी ने कहा कि मैं अभी तहसील कार्यालय जाकर पटवारी बबलू से मेरे कार्य व रिश्वत राशि से संबंधित वार्ता कर लूंगा। समय 5.30 पी.एम. पर हमराह जाप्ता श्री नेमीचन्द से परिवादी का परिचय

करवा परिवादी व श्री नेमीचन्द के मोबाईल नम्बर आपस में शेयर किये व कार्यालय भ्र.निरो. ब्यूरो से साथ लायें डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर Sony कम्पनी एवं एक नया मैमोरी कार्ड Sandisk Ultra 64 gb को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में लगा। रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की प्रक्रिया परिवादी को समझाई गई। श्री नेमीचन्द स.उ.नि. को निर्देश दिये कि परिवादी को एस.ओ. के पास वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को अच्छी तरह से चालू कर परिवादी को सिपुर्द करे एवं परिवादी व एस.ओ. के मध्य होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करे। श्री नेमीचन्द स.उ.नि. को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जरिये फर्द सिपूर्दगी सिपुर्द किया गया। समय 5.45 पी.एम. पर परिवादी श्री कालुलाल व श्री नेमीचंद स.उ.नि. को परिवादी के वाहन ईको कार रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 51 सी.ए. 5026 से मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील कार्यालय शाहपुरा की ओर रवाना किया। समय 6.25 पी.एम. पर परिवादी श्री कालुलाल मय श्री नेमीचंद स.उ.नि. के उपस्थित आये । श्री नेमीचंद स.उ.नि. ने कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को बंद हालत में पेश कर बताया कि मैं तथा परिवादी यहां से रवाना होकर तहसील कार्यालय शाहपुरा से थोड़ा पहले रूक कर मैने परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर दिया। परिवादी ने वॉईस रिकॉर्डर चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट के ऊपर की जेब में रखा उसके बाद परिवादी को एस.ओ. के पास अपने लम्बित कार्य व रिश्वत राशि के संबंध मे वार्ता करने के लिये तहसील कार्यालय भेजा। मैं भी परिवादी से उचित दूरी बनाते हुए उसके पीछे -पीछे तहसील कार्यालय में गया जहां परिवादी कालुलाल ने एस.ओ. की तलाश तहसील कार्यालय में की मगर एस.ओ. नहीं मिला। जिस पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर से एस.ओ. के मोबाईल नम्बर पर फोन कर फोन लाउड स्पीकर पर कर बात की तो एस.ओ. ने परिवादी को रामद्वारा के बाहर आने के लिए बताया परिवादी व एस.ओ. के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात मै व परिवादी उसकी गाडी से तहसील कार्यालय से रामद्वारा की तरफ रवाना हो रामद्वारा से कुछ दूरी पर मैं वाहन से उतर कर पैदल पैदल रामद्वारा के यहां पहुंचा तो परिवादी, एस.ओ. से वार्ता कर रहा था और मै पास खड़ा दोनों में हो रही वार्ता को देख रहा था। परिवादी कालुलाल की एस.ओ. से हुई वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी से पूछताछ करने पर बताया कि मै, श्री नेमीचंद जी के साथ यहां से मेरी ईको कार से रवाना होकर तहसील कार्यालय शाहपुरा पहुचने से पहले नेमीचंद जी ने मुझे रिकॉर्डर चालू कर दिया जिसे मैने अपनी पहनी शर्ट के ऊपर की जेब में रखा और तहसील पहुंचा जहाँ पर नेमीचन्द जी भी मेरे पीछे पीछे आ गये। मैने तहसील कार्यालय शाहपुरा में पटवारी साहब बबलू की तलाश की पर पटवारी साहब नही मिले उसके बाद मैने पटवारी साहब के मोबाईल न. पर लाउड स्पीकर से फोन पर वार्ता की तो पटवारी साहब ने घर जाना बताया और मैने पटवारी साहब को मिलने के लिये कहा तो पटवारी साहब ने मुझे रामद्वारा के पास बुलाया। जिस पर मैं व नेमीचंद जी मेरी गाड़ी मे रवाना हो रामद्वारा से पहले पहुंच, नेमीचंद जी मेरी गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल पैदल रामद्वारा की तरफ जाने लगे और मुझे गाड़ी मे रवाना किया। मै रामद्वारा के पास बैंक ऑफ बडौदा के पास पहुंचा व गाडी को खडी कर गाडी से बाहर आया तो पटवारी साहब का मुझे फोन आया तो मैनें पटवारी साहब को बैंक ऑफ बडौदा के बाहर मेरी गाडी के पास खडा होना बताया। इतने में पटवारी साहब अपनी मोटर साईकिल से बैंक के बाहर रोड पर मिल गये। मैने पटवारी साहब से रिश्वत के संबंध में वार्ता की तो पटवारी साहब ने 2000 रूपयें मांगे और मैने मौके पर 500/- रुपये पटवारी साहब को दिये व पटवारी साहब वहां से मोटरसाईकिल से रवाना हो गये । मैं अपनी गाड़ी में आकर बेठ गया और नेमीचंद जी भी गाडी में आकर बैठ गये और मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर नेमीचंद जी को दे दिया। जिन्होने वॉयस रिकार्डर को बंद कर अपने पास रखा। पटवारी साहब ने 1500 रूपये कल परसों में देने का बोला है। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, दरियापत व रिकॉर्ड वार्ता से जाहिर है कि पटवारी बबलू पटवार हल्का लसाडिया द्वारा परिवादी कालुलाल से अपने वारिसान इंतकाल अपने व अपने भाई बहन के नाम खुलवाने में पटवारी बबलू द्वारा 2000 रुपये की मांग कर 500/- रुपये गृहण किये तथा 1500/- रूपये अनिल कलाल को देने का कहा। अतः आरोपी बबलू पटवारी पटवार हल्का लसाडिया द्वारा परिवादी कालुलाल से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय भीलवाडा उपस्थित होने हेतु पाबंद कर परिवादी को रूकस्त किया गया। समय 07.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान नेमीचन्द एएसआई एवं कानि पवन कुमार मय वाहन सरकारी मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के शाहपुरा से रवाना एसीबी कार्यालय भीलवाडा हुई। समय 08.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान नेमीचन्द एएसआई एवं कानि पवन कुमार मय सरकारी वाहन बोलेरो मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के एसीबी कार्यालय भीलवाडा पहुंची विस्तृत हालात श्रीमान उप अधीक्षक पारसमल जी से अर्ज किये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मांग सत्यापन मैमोरी कार्ड रिकार्डशुदा को अपनी कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 28.04.2025 समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री कालू लाल माली उपस्थित कार्यालय आया। मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि बबलू कुमार पटवारी साहब ने मेरे से सम्पर्क नहीं किया है, और मैंने पता किया तो अभी उसकी स्वंय की शादी होने से अवकाश में चल रहें है। समय 04.00 पी.एम. पर श्री राजवीर कानि0 58 को गोपनीय कार्यवाही में 02 स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु

जरिये कार्यालय पत्रांक 573 दिनांक 28.04.2025 से कार्यालय उप निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाडा रवाना किया गया। समय 04.45. पी.एम पर श्री राजवीर कानि0 कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाहान 01. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रामकरण मीणा उम्र 35 साल निवासी गांव पडाक छापली पोस्ट प्रतापगढ तहसील थानागाजी पुलिस थाना प्रतापगढ जिला अलवर मो.न. [redacted], हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाडा 02. श्री धर्मेश कुमार पुत्र स्व. रमेशचन्द्र कोली उम्र 32 साल निवासी कोली मोहल्ला वार्ड नम्बर 36 थाना भीमगंज भीलवाडा मो.न. [redacted], हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाडा से उपस्थित आये। जिनको अग्रिम गोपनीय कार्यवाही में बतौर गवाह बनने हेतु बताया गया एवं कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी कालू लाल एवं स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा स्वतन्त्र गवाहान से की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाह को पढाया जाकर तहरीरी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 05.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय आलमारी से डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकाला गया। डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.04.2025 रिकार्ड है, डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड वार्ता को चलाकर सुना गया। रिकार्ड वार्ता में परिवादी कालू लाल ने एक आवाज अपनी एवं एक आवाज आरोपी बबलू कुमार पटवारी की होना बता कर आवाज की पहचान की। रिकार्ड वार्ता को शब्द ब शब्द सुन सुनकर श्री राजवीर कानि0 न0 58 से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवायी गयी। रिकार्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी कर 03 पेनड्राईव 32 जी.बी लेपकेयर कम्पनी के पृथक पृथक तैयार किये गये। जिसमें एक पेनड्राईव का माननीय न्यायालय हेतु तैयार कर उसी के कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क B आरोपी हेतु पृथक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर पेनड्राईव को मार्क C दिया गया व एक पेनड्राईव बिना सिल्ड अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में रखा गया। सभी आर्टिकल पर सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त शिल्डशुदा आर्टिकल को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.30 पी.एम पर परिवादी व गवाहान के समक्ष दिनांक 22.04.2025 को हुई मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की मूल मेमोरी कार्ड मे हैशवेल्यू निकालकर सभी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.45 पी.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी, को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर मार्क A दिया जाकर सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1, 24 अंकित की गई। उपरोक्त शिल्डशुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली कि गई। समय 07.00 पी.एम पर परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब का अभी तक ना ही तो फोन आया, ना ही मुझे कार्यालय में दिखाई दिये वो शायद अपनी शादी में व्यस्त है, और अनिल भी मुझे नहीं मिला है । मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी जब भी कार्यालय में उपस्थित आवें या सम्पर्क करे तो मन् पुलिस निरीक्षक से तत्काल सम्पर्क करें। परिवादी एवं गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दोनो गवाहान को सूचना पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 20.05.2025 समय 08.00 ए.एम पर एसीबी चौकी द्वितीय से श्री गोपाल जोशी, स.उ.नि. मय श्री प्रेमराज कानि 225, श्री शिवराज कानि 235, श्री रामेश्वर लाल कानि. 250, श्री नारायण लाल कानि 53, श्री अशोक कुमार कानि 367, मय वाहन सरकारी मय चालक विनोद कुमार चौकी प्रथम पर उपस्थित आये। समय 08.30 ए.एम पर पूर्व मे पाबंदशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रामकरण मीणा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाडा एवं श्री धर्मेश कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाडा चौकी प्रथम पर उपस्थित आये। समय 09.00 ए.ए पर पूर्व मे पाबंदशुदा श्री कालुलाल माली भीलवाडा चौकी प्रथम पर उपस्थित आया। समय 09.10 ए.एम पर परिवादी श्री कालुलाल माली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर अपने पास मे 1500/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 3 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नम्बर 1. 500 रूपये का एक नोट 2WQ 426393 2. 500 रूपये का एक नोट 5VG 698761 3. 500 रूपये का एक नोट 9GB 835317 के प्रस्तुत किये, नोटो के नम्बर गवाहान के समक्ष फर्द पर अंकित किये जाकर रिश्वत राशि नोटो पर श्री नारायण लाल कानि 53 से गवाहान व परिवादी के समक्ष फिनोफ्थेलिन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द पेशकशी नोट, सिपुर्दगी नोट व फिनोफ्थेलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रियां का द्रष्टांत दिया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। फर्द पर गवाहान व सभी सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.30 ए.एम पर श्री नेमीचंद स.उ.नि. को एक नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी का मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर के सिपुर्द किया एवं एक नया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी श्री राजवीर कानि को वास्ते कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग करने हेतु कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन हेतु सिपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन कल्पना पुलिस निरीक्षक मय श्री रामपाल सउनि, श्री गोपाल सउनि, श्री प्रेमराज

कानि 225, श्री राजवीर कानि 58, मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार व श्री धर्मेश कुमार मय प्राईवेट वाहन मय लेपटोप, प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स के एवं श्री शिवराज कानि 250, श्री पवन कानि 417, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री अशोक कानि, श्री इन्द्रजीत कानि. मय वाहन सरकारी बोलेरो के एवं श्री नेमीचन्द सउनि को परिवादी श्री कालुलाल माली की मारूति ईको कार से तहसील कार्यालय शाहपुरा की ओर रवाना हुये तथा श्री नेमीचन्द सउनि को निर्देश दिये कि आप परिवादी श्री कालुलाल माली के एसओ के पास लेनदेन वार्ता करने जाने मे पूर्व डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को अच्छी तरह से चालू कर सिपुर्द करे। समय 11.40 ए.एम पर मन कल्पना पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के तहसील कार्यालय शाहपुरा के पास पहुंचकर वाहनो को साईड में खडा करवाया गया तथा समस्त गवाहान व एसीबी टीम को अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 11.46 ए.एम पर परिवादी श्री कालुलाल माली के मोबाईल नम्बर [redacted] से एसओ बबलु के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवायी गयी तो एसओ बबलु ने तहसील कार्यालय मे होना व तहसील मे आने के लिए कहा उक्त वार्ता को श्री नेमीचन्द सउनि द्वारा परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड की गयी। समय 11.58 ए.एम पर श्री नेमीचन्द सउनि द्वारा परिवादी श्री कालुलाल माली को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर परिवादी को सिपूर्द कर तहसील कार्यालय शाहपुरा की ओर रवाना कर मन् कल्पना पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन के निर्धारित ईशारे के इंतजार में तहसील कार्यालय शाहपुरा में मुकीम हुये। समय 12.31 पी.एम पर परिवादी श्री कालुलाल माली व श्री नेमीचन्द सउनि ने बिना किसी ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास आये व श्री नेमीचन्द सउनि ने बंद हालत मे वॉयस रिकार्डर सिपूर्द किया। परिवादी ने बताया कि श्री नेमीचन्द सउनि ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर मेरी पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखा और मैं तहसील कार्यालय शाहपुरा पटवारी से रिश्वत राशि लेन देन के लिए अंदर गया तो तहसील कार्यालय के छत पर एक हॉल मे पटवारी श्री बबलु व अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे मैं पटवारी साहब के पास गया तो पटवारी साहब ने मेरे से बात कर बताया कि 02 मिनट रूको पटवारी साहब अन्य काम मे व्यस्त हो गये थे, मैं भी छत पर ही थोडी देर रूका रहा कुछ समय बाद पटवारी बबलु नीचे की और जाने लगे तो मै भी उनके पीछे पीछे बिल्डिंग के मैन गेट के पास आया तो पटवारी बबलु ने मुझे कहा कि 5-7 मिनट रूको मेरे कोई मिलने वाले आये व मै उनसे मिलकर वापस आ रहा हूं और पटवारी बबलु उनकी मोटरसाईकिल लेकर तहसील कार्यालय मे निकल गये। कुछ समय बाद मैने पटवारी बबलु के मोबाईल पर फोन लगाया तो पूरी घंटी बजने के बाद भी फोन नही उठाया थोडी देर रूककर दुबारा फोन किया तो पटवारी बबलु का मोबाईल स्वीच ऑफ आया। जिसके बाद मे तहसील परीसर मे ही खडे श्री नेमीचन्द जी सउनि के पास गया, जिन्होंने मेरे से डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को लेकर बंद किया, तत्पश्चात परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब मे रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1500/- रूपये श्री नेमीचन्द सउनि से निकलवायी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक के पास लिफाफे मे सुरक्षित रखी गयी। परिवादी कालुलाल माली ने बताया कि आरोपी बबलु पटवारी बहुत शातिर व चालाक है, हो सकता वो अचानक फोन करके मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के तहसील परिसर के आस पास आरोपी बबलु पटवारी के आने के इंतजार में मुकिम हुए। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 02.45 पी.एम पर परिवादी श्री कालुलाल माली ने बताया कि अभी तक श्री बबलु कुमार का मेरे पास पैसो के लेनदेन के संबंध में फोन नही आया है, हो सकता है कि वह शाम को अचानक पैसे लेने के लिये रात्री में मेरे घर आ सकता है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी कि आप एसीबी की जानकारी के बगैर आरोपी को किसी प्रकार की रिश्वत राशि का लेनदेन न कर तुरंत मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल सूचित करे। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूख्सत किया गया। मन कल्पना पुलिस निरीक्षक मय श्री रामपाल सउनि, श्री गोपाल सउनि, श्री प्रेमराज कानि 225, श्री राजवीर कानि 58, मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार व श्री धर्मेश कुमार मय प्राईवेट वाहन मय लेपटोप, प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स के एवं श्री नेमीचन्द सउनि, श्री कानि शिवराज 250, श्री पवन कानि 417, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री अशोक कानि, श्री इन्द्रजीत कानि. मय वाहन सरकारी बोलेरो के ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा रवाना हुए। समय 03.45 पी.एम पर मन कल्पना पुलिस निरीक्षक मय श्री रामपाल सउनि, श्री गोपाल सउनि, श्री प्रेमराज कानि 225, श्री राजवीर कानि 58, मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार व श्री धर्मेश कुमार मय प्राईवेट वाहन मय लेपटोप, प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स के एवं श्री नेमीचन्द सउनि, श्री शिवराज कानि 250, श्री पवन कानि 417, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री अशोक कानि, श्री इन्द्रजीत कानि. मय वाहन सरकारी बोलेरो के ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा हाजिर आये। दोनों गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदाय देकर रूखसत किया गया। रिश्वत राशि 1500/-रू. व डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में रखी गई। दिनांक 29.05.2025 समय 05.58 पी.एम पर मन कल्पना पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री धर्मेश कुमार को जरिये दुरभाष दिनांक 30.05.2025 को 10.00 ए.एम. पर राकेश कुमार मीणा के साथ एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। समय 07.16 पी.एम पर मन कल्पना पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री कालूलाल से दूरभाष पर संपर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक पटवारी बबलु ने मेरे से संपर्क नहीं किया नही पटवारी बबलू का मेरे पास फोन आया है। मैनें पटवारी को कॉल किया तो उन्होने कॉल रिसीव नहीं किया। परिवादी ने बताया कि कल मेरे

तहसील कार्यालय में काम है, मैं तहसील कार्यालय शाहपुरा में जाउगां तो पटवारी बबलू से सीधे ही बात कर लूंगा। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि 1500/- रूपये की मांग करेगें तो मैं उनको दे दूगां। इस पर परिवादी को दिनांक 30.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे शाहपुरा बाईपास पर मिलने के निर्देश दिए गए। दिनांक 30.05.2025 समय 10.00 ए.एम पर पूर्व में पाबंदशुदा गवाह श्री राकेश कुमार व श्री धर्मेश कुमार उपस्थित कार्यालय आये। समय 10.15 ए.एम पर श्री रामपाल सहायक उपनिरीक्षक से मालखाने में रखी रिश्वत राशि 1500 रूपये को श्री गजेन्द्र सिंह कॉन्स्टेबल के पास रखवाई गई। समय 10.20 ए.एम पर पूर्व में पाबन्द शुदा प्राईवेट वाहन मय चालक कार्यालय में उपस्थित आया। समय 10.35 ए.एम पर श्री नेमीचंद स.उ.नि. को पूर्व में दिनांक 20.05.2025 को लेनदेन के समय काम में लिया गया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर के सिपुर्द किया एवं पूर्व मे दिनांक 20.05.2025 को काम में लिया गया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी श्री राजवीर कानि को वास्ते कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग करने हेतु कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु सिपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन कल्पना पुलिस निरीक्षक मय श्री नेमीचंद सउनि, मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार व श्री धर्मेश कुमार मय प्राईवेट वाहन एवं श्री रामपाल स.उ.नि., श्री खालिद हुसैन हेड कॉन्स्टेबल, श्री राजवीर कानि 58, श्री इन्द्रजीत कानि., श्री गजेन्द्र सिंह कानि. मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय अनुसंधान बॉक्स के मय वाहन सरकारी बोलेरो के तहसील कार्यालय शाहपुरा की ओर रवाना हुये तथा श्री नेमीचन्द सउनि को निर्देश दिये कि आप परिवादी श्री कालुलाल माली व आरोपी के मध्य होने वाली लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को अच्छी तरह से चालू कर सिपुर्द करे। समय 11.45 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय वाहन सरकारी एवं प्राईवेट के शाहपुरा बाईपास पर पहुँच परिवादी से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो परिवादी ने गांव से बस में आना बताया व समय लगने की संभावना जताई जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के शाहपुरा बाईपास पर आने के निर्देश देकर अपनी व हमराहियान की उपस्थिति छुपाते हुए शाहपुरा बाईपास के आसपास ही परिवादी के आने के इंतजार में मुकिम हुए। समय 12.45 ए.एम पर परिवादी श्री कालूलाल माली शाहपुरा बाईपास पर मोटरसाईकिल से उपस्थित आया परिवादी ने बताया कि अभी पटवारी बबलू ने मुझसे संपर्क नहीं किया है न ही मुझे उनका फोन आया है मैनें कई बार फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया पटवारी बबलू होशियार व चालाक है, मैं सीधे ही बबलू पटवारी से तहसील कार्यालय में मिल लूगां। बबलू पटवारी 1500 रू. रिश्वत राशि की मांग करेगें तो मै बबलू पटवारी को दे दूगां। इस पर कॉन्स्टेबल गजेन्द्र सिंह के पास लिफाफे में सुरक्षित रखी गई रिश्वत राशि 1500 रू0 को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी बबलू द्वारा रिश्वत मांगने पर ही उसे देवे व रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करे। कानि0 गजेन्द्र सिंह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हो तहसील कार्यालय के पास पहुँचें। परिवादी को रूकवाकर श्री नेमीचन्द सउनि द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर सिपूर्द कर तहसील कार्यालय शाहपुरा की ओर रवाना किया। परिवादी के पिछे पिछे नेमीचन्द स.उ.नि. व गवाह धर्मेश कुमार को रवाना कर मन् कल्पना पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान तहसील कार्यालय शाहपुरा के बाहर मुकीम हुये। परिवादी श्री कालूलाल माली ने समय 01.15 पी.एम. पर तहसील परिसर शाहपुरा के बरामदे में से रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया। जिस पर श्री नेमीचंद एएसआई नें परिवादी से चालू डिजिटल वाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखा तत्पश्चात परिवादी नें श्री नेमीचंद एएसआई को बताया कि मुझे तहसील कार्यालय के उपर बने कमरा नम्बर 10 भू अभिलेख शाखा में पटवारी बबलू धोबी बैठा हुआ मिला। जिसने पूर्व में तयशुदा रिश्वत राशि 1500/- रूपये अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी जिंस पेंट के पीछे की बांयी जेब में रख लिये है। पटवारी उपर कमरा नम्बर 10 में ही बैठा हुआ है। जिस पर नेमीचंद एएसआई व गवाह श्री धर्मेश कुमार परिवादी को साथ लेकर सीढियों से तहसील कार्यालय के ऊपर जाने लगे तो सामने से सिढियों से आते हुये जिंस पेंट एवं शर्ट पहने हुये व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही पटवारी बबलू धोबी है। जिसने अभी अभी मेरे से 1500/- रूपये ग्रहण किये है। इस पर श्री नेमीचंद एएसआई, गवाह श्री धर्मेश कुमार नें पटवारी बबलू धोबी को सिढियों से नीचे लेकर आये, सिढियो के पास बने हुये राजस्व शाखा कमरा नम्बर 3 में बैठाया। इस पर श्री नेमीचंद एएसआई ने मन पुलिस निरीक्षक को उक्त घटना बाबत जरिये मोबाईल सूचना दी। जिस पर मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही के अन्य सदस्य को तहसील कार्यालय पहुंचने की कहाँ। मन पुलिस निरीक्षक एवं गवाह श्री राकेश कुमार राजस्व शाखा कमरा नम्बर 03 में पहुंचे जहां पर श्री नेमीचंद एएसआई एवं गवाह श्री धर्मेश कुमार, परिवादी व आरोपी पटवारी श्री बबलू धोबी बैठे हुये मिले। इस दौरान ट्रेप पार्टी के सदस्य रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री गजेन्द्र सिंह कानि0, श्री राजवीर कानि0 एवं श्री इन्द्रजीत कानि0 मय ट्रेप बॉक्स आवश्यक लेखन सामग्री एवं मय रिकॉर्डिंग मोबाईल के राजस्व शाखा कमरा नम्बर 03 में पहुंचे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत करवाकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बबलू धोबी पुत्र श्री महावीर धोबी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कादीमहना पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाडा पटवारी पटवार हल्का लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने पास

ही खडे परिवादी श्री कालुलाल माली की ओर ईशारा कर पूछा कि परिवादी श्री कालू माली से उसके पिता के नाम ग्राम लसाडिया में खसरा नम्बर 291, 414 एवं 535 कुल 6 बीघा भूमि का पिताजी की मृत्यु के उपरान्त परिवादी के परिजनों के नाम विरासत से इन्तकाल खुलवाने के लिये दस्तावेजात ऑनलाईन करवाने एवं आगे की कार्यवाही करने की ऐवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.04.2025 को 500 रूपये ग्रहण किये एवं शेष रिश्वत राशि 1500 रूपये आज ग्रहण किये है क्या, जिस पर पटवारी बबलू धोबी ने परिवादी की ओर ईशारा कर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही मांगी है और ना ही ली है, इन्होनें मेरी जेब में जबरदस्ती कुछ रूपये रख दिये है जो मेरी जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी हुई है । इस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः बताया कि पटवारी साहब झूठ बोल रहे है। मेरे पिताजी के नाम ग्राम लसाडिया में स्थित कृषि भूमि 6 बीघा का मेरे पिताजी की मृत्यु के उपरांत मेरा व मेरे परिजनो के नाम विरासत इंतकाल खुलवाने के लिये दिनांक 22.04.2025 को पटवारी जी से तहसील कार्यालय शाहपुरा मे मिला तो पटवारी जी ने विरासत के दस्तावेज ऑनलाईन करवाने एवं अग्रिम कार्यवाही करने की ऐवज में 2000/- रूपये की मांगकर 500 रूपये दौराने मांग सत्यापन के वक्त ग्रहण कर लिये एवं 1500 रूपये रिश्वत राशि के मेरे से इन्होने अभी-अभी अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये है । जिस पर आरोपी पटवारी श्री बबलू धोबी से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पुनः पूछने पर आरोपी ने अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब से कुछ रूपये निकालकर तहसील कार्यालय की टेबल पर रख दिये जिसे गवाह श्री धर्मेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से प्राप्त किये गये 500/- रूपये एवं आज दिनांक को परिवादी से 1500 रूपये रिश्वत राशि लिये जाने के संबंध में आरोपी बबलू धोबी पटवारी से पूछा तो आरोपी पटवारी नें अपनी गर्दन नीचे कर ली और चुपचाप रहा। पटवारी श्री बबलू धोबी के परिवादी से रिश्वत राशि लिये जाने का उचित सन्देह होने से कार्यालय तहसील परिसर शाहपुरा मे लगे हुए वाटर कुलर से कानि. इन्द्रजीत से साफ पानी मंगवाया जाकर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित गवाहान नें रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बबलू धोबी के बायें व दाये हाथ की अंगुलियो, अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो बायें के घोल का रंग मटमैला हल्का गुलाबी झांईदार व दाहिनें हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिनको पृथक पृथक शिशियों में भरकर क्रमशः मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1 व एलएच-2 अकित कर चिट व कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। दोनो डिस्पोजल गिलास को मौके पर नष्ट किये गये। गवाह श्री धर्मेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि 1500 रूपये को गिनने का कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिनकर 500 - 500 रूपये के तीन नोट कुल 1500/- रूपये होना बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द द्रष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाहान द्वारा उक्त नोटो का मिलान फर्द द्रष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो का मिलान रूबरू होना बताया। उक्त नोटों को एक पिले रंग के लिफाफे में रखकर शिल्ड चिट कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे पर मार्क "N" अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। इसी दौरान पुलिस उप अधीक्षक श्री पारसमल भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम मय जाप्ता श्री राजेश कुमार एसआई भी ईमदाद हेतु उपस्थित आये। तत्पश्चात इन्द्रजीत कानि0 से वाटर कूलर से साफ पानी मंगवाया जाकर एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में जिंस पेन्ट के पीछे की बांयी जेब को उल्टाकर घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी व काला (जिंस का रंग उतरने के कारण) हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। जिंस पेन्ट बरंग हल्का ब्लैक को सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर मार्क पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। पटवारी से परिवादी से सम्बन्धित कागजात् निकालकर पेश किये। परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेज कुल किता 01 से 09 के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तहसील कार्यालय में उपस्थित श्री राकेश कुमार, ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय शाहपुरा को तलब कर गवाह एवं परिवादी के समक्ष उक्त दस्तावेजों के बारे में श्री राकेश कुमार, ऑफिस कानूनगो ने बताया कि उक्त दस्तावेज ऑनलाईन रिकार्ड के अनुसार ग्राम लसाडिया के वर्तमान खाता नम्बर 291,414,534 के विरासत ऑनलाईन नामान्तरण संख्या 1510 के अनुसार दिनांक 23.04.2025 को पटवारी श्री बबलू धोबी, पटवार हल्का लसाडिया द्वारा जांच कर नामान्तरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बंधित सरपंच को ऑनलाईन अग्रेषित किया गया। इसके उपरांत दिनांक 06.05.2025 को सरपंच द्वारा ऑनलाईन नामान्तरण स्वीकृत किया गया। उक्त रिपोर्ट की ईदर्दी पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। जिसकी साईट APNAKHATA.RAJASTHAN.GOV.IN है। श्री राकेश कुमार ऑफिस कानूनगो ने उक्त नामान्तरण की ऑनलाईन प्रति पेश की जो शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा पूर्व मे इसरोज रिश्वत राशि लेनदेन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी व आरोपी श्री बबलू धोबी पटवारी के

मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री बबलू धोबी पुत्र श्री महावीर धोबी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कादीसहना पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाडा पटवारी पटवार हल्का लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा द्वारा परिवादी श्री कालू माली से उसके पिता के नाम ग्राम लसाडिया में खसरा नम्बर 291, 414 एवं 535 कुल 6 बीघा भूमि का पिताजी की मृत्यु के उपरान्त परिवादी के परिजनों के नाम विरासत से इन्तकाल खुलवाने के लिये पटवारी श्री बबलू धोबी पटवारी से दिनांक 22.04.2025 को तहसील कार्यालय में मिला तो पटवारी ने दस्तावेजात् ऑनलाईन करवाने एवं आगे की कार्यवाही करने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.04.2025 को करवाया। दौराने सत्यापन भी 500 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना पाया गया। शेष रिश्वत राशि 1500 रूपये दिनांक 30.05.2025 को तहसील कार्यालय शाहपुरा में परिवादी से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया जाने पर बाद आगाही जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गवाहान के समक्ष गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनके पिता श्री महावीर धोबी को मौके पर दी गयी। मौके पर व तहसील परिसर शाहपुरा पर की गई ट्रेप कार्यवाही की विडियों/ऑडियों रिकॉर्डिंग कानि0 श्री राजवीर कानि0 नम्बर 58 से बी.एन.एस.एस. की धारा 105 व 185 के प्रावधानों के नियमानुसार करवाई गई। समय 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कालु लाल माली की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। समय 07.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता मय परिवादी कालु लाल माली व गिरफतारशुदा आरोपी बबलू पटवारी मय शिल्डशुदा आर्टीकल के तहसील कार्यालय शाहपुरा से एसीबी कार्यालय भीलवाडा रवाना हुये। समय 08.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता मय परिवादी कालु लाल माली गिरफतारशुदा मुल्जिम मय शिल्डशुदा आर्टीकल के एसीबी कार्यालय भीलवाडा पहुचे। जप्तशुदा आर्टीकल एवं जामा तलाशी मे मिले मोबाईल को कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 08.15 पी.एम पर परिवादी श्री कालुलाल माली एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मेश कुमार व श्री राकेश कुमार के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन/ लेनदेन वार्ता दिनांक 20.05.2025 व 30.05.2025 जो आरोपी श्री बबलू धोबी पटवारी, पटवार हल्का लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा एवं परिवादी श्री कालुलाल माली के मध्य रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड है, को कार्यालय अलमारी से निकलवाकर रिकार्ड वार्ताओ को कार्यालय के लेपटोप मे कनेक्ट कर बारी बारी मे चलाकर सुना गया जिसमे परिवादी ने एक आवाज स्वंय की एवं एक आवाज आरोपी बबलू धोबी की होने की पहचान की। उक्त रिकार्ड वार्ताओ की कार्यालय के लेपटोप से शब्द ब शब्द सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि. श्री राजवीर कानि0 58 से तैयार करवायी गयी तथा रिकार्ड वार्ताओ के कुल 03 पैन ड्राईव 64-64 जी.बी. के तैयार किये गये। उक्त मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की हैशवेल्यू कानि. श्री राजवीर कानि0 58 से निकलायी गयी। न्यायालय हेतु एक पैन ड्राईव उसी कवर मे रखकर कपडे की थैली मे शिल्ड कर मार्क PD-1 दिया गया तथा आरोपी के लिए एक पैन ड्राईव उसी कवर मे रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा एक पैन ड्राईव पीले लिफाफे मे रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त सभी शिल्ड आर्टीकल पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर नमूना ब्राम सील ACB BHL–1, 24 अंकित की गयी। समय 11.00. पी. एम. पर उक्त कार्यवाही मे उपयोग मे ली गयी नमूना ब्राम सील ACB BHL–1, 24 का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को निरीक्षण करवा ब्राम सील ACB BHL–1, 24 को कार्यालय परिसर के बाहर तुडवाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना नाशानी ब्रास सील पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.40 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में मन् पुलिस निरीक्षक व श्री राजवीर कानि0 द्वारा धारा 63 (4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री बबलू धोबी पटवारी पटवार हल्का लसाडिया द्वारा परिवादी श्री कालू माली से उसके पिता के नाम ग्राम लसाडिया में खसरा नम्बर 291, 414 एवं 535 कुल 6 बीघा भूमि का पिताजी की मृत्यु के उपरान्त परिवादी के परिजनों के नाम विरासत से इन्तकाल खुलवाने के लिये पटवारी श्री बबलू धोबी पटवारी से दिनांक 22.04.2025 को तहसील कार्यालय में मिला तो पटवारी ने दस्तावेजात् ऑनलाईन करवाने एवं आगे की कार्यवाही करने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.04.2025 को 500 रूपये की रिश्वत राशि परिवादी से मांग कर ग्रहण करना पाया गया। शेष रिश्वत राशि 1500 रूपये दिनांक 30.05.2025 को तहसील कार्यालय शाहपुरा में परिवादी से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी जहां से रिश्वत राशि दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद की गयी। अतः आरोपी श्री बबलू धोबी पुत्र श्री महावीर धोबी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कादीसहना पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाडा पटवारी पटवार हल्का लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध कारित करने से प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते

क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (कल्पना) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम। ....कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बबलू धोबी पुत्र श्री महावीर धोबी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कादीसहना पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाडा पटवारी पटवार हल्का लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारसमल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम -583 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 774-77 दिनांक 01.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2. जिला कलक्टर, भीलवाडा 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar Rank (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Pyare Lal Shivran
Rajasthan.IN
01/06/2025 21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/08/1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)